

**उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ****दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या.- 3935/2026**

वसुदेवा

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:- अनिल कुमार अवस्थी

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या. - 11**माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा परिवादी को दी गयी सूचना प्रस्तुत की गयी, जिसके माध्यम से उसे वर्तमान मामले के लंबित होने के संबंध में सूचित किया गया था। तथापि, परिवादी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

उक्त सूचना को अभिलेख पर लिया जाता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. प्रस्तुत जमानत आवेदन, आवेदक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 60/2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87, 65(1) तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(ठ)/6, थाना बड़पूर, जनपद बाराबंकी के अंतर्गत, आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फँसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन कथानक के अनुसार पीड़िता आवेदक के संपर्क में थी और उसी के द्वारा आवेदक को बुलाया गया था। तत्पश्चात् पीड़िता आवेदक के साथ चली गई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि पीड़िता के पिता द्वारा मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विवेचना के दौरान पीड़िता का अस्थिकरण परीक्षण कराया गया, जिसमें उसकी आयु लगभग 19 वर्ष पाई गई। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि पैथोलॉजिकल परीक्षण में कोई शुक्राणु नहीं पाया गया था। हालांकि, विवेचक द्वारा आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आरोप-पत्र प्रस्तुत हो जाने के पश्चात् किसी भी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किए जाने की कोई संभावना नहीं है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया है कि निकट भविष्य में विचारण के निष्कर्ष तक पहुँचने की कोई संभावना नहीं है तथा आवेदक, जिसका कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है, दिनांक 10.03.2026 से ही कारागार में निरुद्ध है। ऐसी परिस्थितियों में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का कभी दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में पूर्ण सहयोग भी करेगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया तथा यह प्रस्तुत किया कि विद्यालय के अभिलेखों के अनुसार घटना के समय

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पीड़िता की आयु लगभग 13 वर्ष थी। तथापि, वह इस तथ्य से इनकार नहीं करते हैं कि अस्थिकरण परीक्षण में पीड़िता की आयु लगभग 19 वर्ष पाई गई थी।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 एवं 183 के अंतर्गत अभिलिखित पीड़िता के बयानों, चिकित्सकीय विधिक आख्या तथा अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात् यह स्पष्ट है कि अस्थिकरण परीक्षण के अनुसार पीड़िता की आयु लगभग 19 वर्ष थी तथा आवेदक की आयु लगभग 20 वर्ष है। ऐसी परिस्थितियों में यह न्यायालय इस मत का है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

7. आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

8. आवेदक-वसुदेवा को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 60/2026 में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नवत् शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा, जो उस अपराध के समान हो, जिसके किए जाने का उस पर आरोप है अथवा जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा, जिससे वह उक्त तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक इस आशय का वचन-पत्र प्रस्तुत करेगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तब साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर वह किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में विचारण न्यायालय इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(iv) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि को आवेदक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(vi) आवेदक (क) मामला शुरू होने (ख) आरोप तय होने, और (ग) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज किए जाने के लिए तय की गई तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर की गई है या बिना किसी पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला रहेगा कि वह ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करे।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माना जाएगा तथा अधीनस्थ न्यायालय को जमानत निरस्तीकरण के संबंध में उचित आदेश पारित करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

जून 10, 2026

वीकेएस

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।